



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल
 (वंचात एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेया हिल्स, भोपाल - 462011

क्रमांक ६७१२ / एनआर-7 / मनरेगा / 2010/12
 प्रति,

भोपाल, दिनांक : / 06 / 2010
 ०६/०७/२०१०

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
 जिला पंचायत (समस्त)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में लाईन विभागों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी बाबत।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 44 / एनआर-7 / मॉनिट / 2010 दिनांक 5.1.2010

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में लाईन विभागों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु वित्तीय वर्ष 2009-10 के समाप्त हो जाने के पश्चात भी निम्न जिलों द्वारा आज दिनांक तक लाईन विभागों/पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी परिषद में अप्राप्त हैं –

| क्र | जिले का नाम | वित्तीय वर्ष | रिमार्क |
|-----|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सिवनी, सीधी, गुना, हरदा, कटनी, राजगढ़ रीवा | 2007-08 (मार्च 08 की स्थिति में) | • जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करें। |
| 2 | सिवनी, सीधी, गुना, हरदा, कटनी, राजगढ़, भिण्ड, भोपाल, झालियर, इंदौर, रायसेन, सीहोर, उज्जैन | 2008-09 (मार्च 09 की स्थिति में) | • वर्षवार पृथक-पृथक प्रपत्र में प्रेषित करें। |
| 3 | समस्त जिले | 2009-10 (मार्च 2010 की स्थिति में) | |

पूर्व में जिला पंचायत सिवनी एवं रीवा द्वारा निर्धारित प्रपत्रानुसार जानकारी प्रेषित नहीं की गई हैं। अतः सारणी क्र. 1, 2 एवं 3 के जिलों द्वारा जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक ०६/०७/२०१० तक परिषद की मॉनिट शाखा के ई-मेल पते rddmp_monit@yahoo.co.in पर अनिवार्यतः प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

६७१३ | ०६/०७/२०१०
 (शिव शेखर शुक्ला)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र. ६७१३ / एनआर-7 / मनरेगा / 2010,

भोपाल, दिनांक : / 06 / 2010

प्रतिलिपि :-

०६/०७/२०१०

संभाग आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

६७१३ | ०६/०७/२०१०
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मध्यप्रदेश

वित्तीय वर्ष 2007–08 में लाईन विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी (लागत रु ८० लाख में)

जिले का नाम _____ स्थिति माह:- मार्च 2008 की स्थिति में _____

| क्रमांक | विभाग का नाम | स्वीकृत कार्य | | | | प्रभाति कार्य | पूर्ण कार्य | | कार्यों की संख्या जिनका प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल पूर्ण किया एवं आई एस में की जा रुकी गया है | कार्यों की संख्या जिनकी पंद्री एकिजट प्रोटोकॉल पूर्ण किया एवं आई एस में की जा रुकी गया है |
|---------|---|---------------|------|--------|-------------------|---------------|-------------|------|--|---|
| | | संख्या | लागत | संख्या | कुल स्वीकृत लागत* | | संख्या | लागत | | |
| 1 | लोक निर्माण विभाग | | | | | | | | | |
| 2 | जल संसाधन विभाग | | | | | | | | | |
| 3 | वन विभाग | | | | | | | | | |
| 4 | कृषि विभाग | | | | | | | | | |
| 5 | मर्त्य धारन विभाग | | | | | | | | | |
| 6 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | | | | | | | | | |
| 7 | डी पी आई पी | | | | | | | | | |
| 8 | आर एल पी | | | | | | | | | |
| 9 | आर जी एम (ऐसे कार्य जो १० या १० ग्राम कार्यक्रम की राशि से छलाये जा रहे हैं) | | | | | | | | | |
| 10 | रेशम विभाग | | | | | | | | | |
| 11 | आदिम जाति कल्याण विभाग | | | | | | | | | |
| 12 | अन्य विभाग | | | | | | | | | |
| 13 | योग (1 से 12) | | | | | | | | | |
| 14 | पंचायती राज संस्थाएं | | | | | | | | | |
| 15 | महायोग (13+14) | | | | | | | | | |

टीए

* प्रभाति कार्यों की लागत राशि का उल्लेख करें, न कि जिता पंचायत कार्यालय द्वारा जारी किये गये अंश का।

\\$ प्रभाति कार्यों के लिये जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी की गये अंश का विवरण देवे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मध्यप्रदेश
वित्तीय वर्ष 2008–09 में लाइन विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी (लागत रु 1 लाख में)

जिले का नाम

स्थिति माह— मार्च 2009 की स्थिति में

| क्रमांक | विभाग का नाम | खीकृत कार्य | | पूर्ण कार्य | | एकेजेट प्रोटोकॉल पूर्ण किया गया है | कार्यों की संख्या जिनका एकेजेट प्रोटोकॉल पूर्ण किया गया है एवं ऐसे में की जा चुनी है |
|---------|--|-------------|------|-------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | | संख्या | लागत | संख्या | कुल खीकृत लागत* | रिपोर्टिंग माह तक लागत | |
| 1 | लोक निर्माण विभाग | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | जल संसाधन विभाग | | | | | | |
| 3 | वन विभाग | | | | | | |
| 4 | कृषि विभाग | | | | | | |
| 5 | मतस्य पालन विभाग | | | | | | |
| 6 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | | | | | | |
| 7 | डी.पी.आई.पी | | | | | | |
| 8 | आर.एल.पी | | | | | | |
| 9 | आर.जी.एम (ऐसे कार्य जो ३० या ३० रु० गा० कार्यक्रम की राशि से बढ़ाये जा रहे हैं) | | | | | | |
| 10 | रेखम विभाग | | | | | | |
| 11 | आदिस जाति कल्याण विभाग | | | | | | |
| 12 | अन्य विभाग | | | | | | |
| 13 | योग (1 से 12) | | | | | | |
| 14 | पंचायती राज संस्थाएँ | | | | | | |
| 15 | महायोग (13+14) | | | | | | |

टीप:

* प्राप्तिकर्त कार्यों की लागत राशि का उल्लेख करें, न कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी की गये अंश का विवरण दें।

§ प्राप्तिकर्त कार्यों के लिये जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी की गये अंश का विवरण दें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मध्यप्रदेश

वित्तीय वर्ष 2009–10 में लाईन विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी (लागत रु. लाख में)

जिले का नाम

स्थिति माहः— मार्च 2010 की स्थिति में

| क्रमांक | विभाग का नाम | स्वीकृत कार्य | | प्रगति कार्य | | पूर्ण कार्य | | कार्यों की संख्या जिनका प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल पूर्ण किया गया है | कार्यों की संख्या जिनकी एंटी एम आई एस में की जा चुकी है | |
|---------|---|---------------|------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|---|---|----|
| | | संख्या | लागत | संख्या | कुल स्वीकृत लागत* | प्रिपोर्टिंग माह तक विभूति राशि \$ | संख्या | लागत | | |
| 1 | लोक नियमित विभाग | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | जल संसाधन विभाग | | | | | | | | | |
| 3 | वन विभाग | | | | | | | | | |
| 4 | कृषि विभाग | | | | | | | | | |
| 5 | मत्तव्य पालन विभाग | | | | | | | | | |
| 6 | ग्रामीण योग्यक्रमी सेवा | | | | | | | | | |
| 7 | डी एस आई ए | | | | | | | | | |
| 8 | आर एल ए | | | | | | | | | |
| 9 | आर जी एम (ऐसे कार्य जो रु० या० रु० या० कार्यक्रम की राशि से चलाये जा सकते हैं) | | | | | | | | | |
| 10 | रेखम विभाग | | | | | | | | | |
| 11 | आदिम जाति कल्याण विभाग | | | | | | | | | |
| 12 | अन्य विभाग | | | | | | | | | |
| 13 | योग (1 से 12) | | | | | | | | | |
| 14 | पर्यावरण राज संस्थायें | | | | | | | | | |
| 15 | महायोग (13+14) | | | | | | | | | |

टीए

जानकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये माहे मार्च 10 तक भेजी जाते

* प्रगतिशील कार्यों की लागत राशि का उल्लेख करें, न कि जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी किये गये अंश का।

§ प्रगतिशील कार्यों के लिये जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी की गये अंश का विवरण दें।